The postal distribution system in the villages of Kanyakumari district is satisfactory. Letters, telegrams, money-orders and registered letters are generally delivered in time. However, instances of delays do occur due to various reasons such as cancellation/late running of mail-carrying buses, trains and planes, natural calamities and due to sudden and exceptionally heavy volume of mails like Corporate mail and Greetings mail.

(c) The transmission and delivery of mails and money orders in the State is continuously monitored at various levels and corrective measures are taken wherever deficiencies are noticed.

नये टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थापित किया जाना

2580. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने हेतु स्थानों का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा सहित राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय किया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) 1997-98 के लिए स्थापना-कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) से (छ) हमारी नीति के अनुसार, जब कभी पंजीकृत मांग बढ़कर 10 (दस) अथवा इससे अधिक हो जाती है तो एक नया एक्सचेंज खोलने की योजना बनायी जाती है। विशिष्ट मामलों में, जहां कहीं राज्य सरकार कुछ एक्सचेंज खोलने के लिए कहती है, उन मामलों में उसे 10 (दस) अथवा इससे अधिक की पंजीकृत मांग दर्शानी होती है। इस मामले में ऐसी कोई मांग नहीं है।

सेल्युलर फोन सेवाओं हेतु प्रभार

2581. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेल्युलर फोन सेवाओं के लिए अनुबंधित किए गए आपरेटरों और कम्पनियों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग ने सेल्युलर फोन सेवाओं हेतु कोई न्यूनतम और अधिकतम प्रभार निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय सेल्युलर फोन सेवा कम्पनियों द्वारा किस दर पर प्रभार वसूल किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सेल्युलर फोन कम्पनियों ने दरों में भारी कमी करने की घोषणा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) विभाग ने संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, देश में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रार्चालनार्थ 21 भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) विभाग ने, लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं से उनके द्वारा वसूल किए जाने वाले टैरिफ की सीमा निर्धारित कर दी है। टैरिफ की सीमा-संबंधी ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)** लाइसेंसधारी इस सीमा के नीचे प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। टैरिफ की सीमा की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जाती है।

(घ) से (छ) टैरिफ सीमा के भीतर, प्रचालक कम टैरिफ वसूल करने के लिए स्वतन्त्र है। कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को अलग-अलग पैकेजों की पेशकश करती हैं तथापि जब तक वे निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत होते हैं, सरकार द्वारा इन्हें विनियमित नहीं किया जाता है।

विवरण-I

14.3.1997 की स्थिति के अनुसार सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन हेतु लाइसेंसधारियों के नाम

क. महानगर

कंपनी का नाम	शहर
बीपीएल सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट्स लि॰	बंबई
हचिंसन मैक्स टेलीकॉम	बंबई
मोदी टेल्स्ट्रा प्रा॰ लि॰	कलकत्ता
ऊषा मार्टिन टेलीकॉम लि॰	कलकत्ता
भारतीय सेल्युलर लि॰	दिल्ली
स्टर्लिंग सेल्युलर लि॰	दिल्ली
आरपीजी सेल्युलर सर्विसेज लि॰	मद्रास
स्काईसेल कम्युनिकेशन्स प्रा॰ लि॰	मद्रास

ख. क्षेत्रीय (टैरिटोरियल) दूरसंचार सर्किल

कंपनी का नाम	सर्किल
एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि॰	हरियाणा उत्तर प्रदेश (पूर्व) राजस्थान
फैसिल लि॰	गुजरात
हेक्साकॉम इंडिया लि॰	राजस्थान उत्तर पूर्व
जे टी मोबाइल्स लि॰	आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक
कोशिका टेलीकॉम प्रा॰ लि॰	बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व)
टाटा कम्युनिकेशन्स प्रा॰ लि॰	आन्ध्र प्रदेश
एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशन्स प्रा॰ लि॰	हरियाणा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) केरल
भारती टेलीनेट लि॰	हिमाचल प्रदेश
सेल्युलर कम्युनिकेशन्स इंडिया लि॰	मध्य प्रदेश
मोदीकॉम नेटवर्क प्रा॰ लि॰	कर्नाटक पंजाब
बिरला ए टी एंड टी कॉम लि॰	गुजरात महाराष्ट्र
रिलायंस टेलीकॉम प्रा॰ लि॰	पश्चिम बंगाल असम बिहार हिमाचल प्रदेश उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश उड़ीसा
बी पी एल यू एस वेस्ट सेल्युलर	तमिलनाडु केरल महाराष्ट्र

विवरण II

सेल्युलर मोबाइल सेवा की अधिकतम टैरिफ-सीमा।

टैरिफ:

1. सेवा के लिए मासिक किराया : 156 रु० प्रति माह
2. सुरक्षा जमा-धनराशि : 3000 रु०
3. संस्थापन प्रभार : 1200 रु०
4. कॉल प्रभार:—

4.1 मोबाइल उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कॉलों के लिए:— 10 सेकिंड प्रति यूनिट कॉल की दर से एयर टाइम प्रभार जमा स्थानीय एस टी डी और आई एस डी कालों के लिए निर्धारित नेटवर्क हेतु लागू प्रभार। एक ही सेल्युलर सेवा क्षेत्र के भीतर मोबाइल से मोबाइल तक की कॉलों के लिए, केवल एयर टाइम प्रभार ही वसूल किए जाएंगे।

4.2 मोबाइल उपभोक्ता को की गई कॉलों के लिए:— 10 सेकिंड प्रति यूनिट कॉल की दर से एयर टाइम प्रभार वसूल किया जाएगा। मोबाइल उपभोक्ता से उस स्थिति में कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा यदि मोबाइल उपभोक्ता इनकमिंग कॉल को 5 सेकिंड के भीतर समाप्त कर लेता है।

5. टैरिफ पर टिप्पणियां:—

5.1 मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए कॉल अवधि एयर टाइम आधार पर होगी।

5.2 एयर टाइम यूनिट कॉल, दूरसंचार विभाग के स्थित नेटवर्क (इस समय 1.40 रु० प्रति यूनिट) के उच्चतम स्लैब पर लागू यूनिट दर पर प्रभारित की जाएगी। यूनिट दर, सभी कॉलों के लिए उपर्युक्त के अनुसार लागू होगी तथा कोई टैलिस्कोपिक दरें नहीं हैं।

5.3 व्यस्त अवधि के दौरान एयर टाइम के लिए कॉल प्रभार, ऊपर पैरा 4 में निर्धारित दरों की दुगुनी दरों से अनधिक दरों पर निर्धारित नहीं होंगे। व्यस्त अवधि को प्रति दिन अधिकतम चार घंटों तक प्रतिबंधित किया जाएगा।

5.4 एयर टाइम हेतु कॉल प्रभार, रविवार दिवसों और तीन राष्ट्रीय अवकाश दिवसों (15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्तूबर) के दौरान उपर्युक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों की आधी दरों पर होंगे।

5.5 सचल उपभोक्ता से स्थिर नेटवर्क को की गई कॉलों के लिए, लाइसेंसधारी सचल उपभोक्ता से कॉल के समय और दिन के अनुसार दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर प्रभार वसूल करेगा। ऐसी कॉलों के लिए यूनिट दर (इस समय 1.40 रु० प्रति यूनिट) दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क को उच्चतम स्लैब दर होगी। यूनिट दर सभी कॉलों के लिए उपर्युक्त के अनुसार लागू होगी और कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं हैं।

5.6 एयर टाइम में कोई निःशुल्क कॉलें नहीं दी जानी हैं।

5.7 स्थिर नेटवर्क से मोबाइल को की जाने वाली सभी कॉलों के लिए मोबाइल उपभोक्ता से एयर टाइम के लिए प्रभार लिए जाएंगे तथा दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्युलर प्रचालक को कोई अभिगम्यता शुल्क (एक्सेस-फी) नहीं देना पड़ेगा। एयर टाइम प्रभार सेल्युलर प्रचालक द्वारा एकत्र किए जाएंगे।

5.8 मोबाइल से मोबाइल के लिए कॉल करने वाली तथा कॉल की गई पार्टी, दोनों से ही प्रभार वसूल किए जाएंगे।

6. सभी प्रकार की टैरिफ अभिवृद्धि दूरसंचार प्राधिकरण तथा/अथवा इसके उत्तराधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगी।

7. किराए में उपभोक्ता के टर्मिनल उपस्कर (मोबाइल टैलसेट) की लागत शामिल नहीं है। उपभोक्ता किसी भी स्रोत टर्मिनल उपस्कर की खरीद करने के लिए स्वतंत्र है।

ISD/STD/PCO Booth in Punjab

2582. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the total number of ISD/STD/PCO Booths to be provided in the State of Punjab during the year 1997-98, district-wise;

(b) the total number of the applications who have at present applied for getting ISD/STD/PCO Booths in the State; and

(c) the measures taken or proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) Targets for 1997-98 are being finalised. Information will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) 5353.